प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल के वित्त लेखाओं की जांच में दृष्टिगत मामलों पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में अन्तर्विष्ट है। यह रिपोर्ट विभिन्न मापदण्डों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर केन्द्रित है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में रेलवे की आय पर यात्रियों को दी गई रियायतों के प्रभाव तथा इन रियायतों के दुरूपयोग को रोकने के लिए मौजूदा आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता पर लेखापरीक्षा आपत्तियों को अन्तर्विष्ट किया गया है।